न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.26/अपील/2022 (GCMS No. 2022/49)	25.04.2022	27.01.2025

शोभाराम आ. परमानन्द जाति बलाई
निवासी ग्राम गामछ, तहसील तालेडा जिला बून्दी

– अपीलान्ट

बनाम

1. रामशंकर आ.लटूर जाति बलाई निवासी ग्राम गामछ तह.तालेडा
2. शांति पुत्री नारायण पत्नी बजरंगलाल बलाई निवासी जमीतपुरा
3. रामचरण माता ग्यारसीबाई पिता भंवरलाल जाति बलाई
   निवासी ग्राम निमोटा, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी
4. लेखराज आ. भंवरलाल जाति बलाई निवासी निमोटा तह.के.पाटन
5. मुकेश आ. भंवरलाल जाति बलाई निवासी निमोटा तह.के.पाटन
6. भोजराज आ. भंवरलाल जाति बलाई निवासी निमोटा तह.के.पाटन
7. ममता पुत्री भंवरलाल पत्नी बिट्टू जाति बलाई
   निवासी निमोटा तह.के.पाटन
8. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री श्यामदत्त दाधीच, एडवोकेट
रेस्पो.सं. 1 व 7 की ओर से श्री शिफा उल हक, एडवोकेट
रेस्पो. सं. 8 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1890 दिनांक 21.09.2020 ग्राम गामछ से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से उपखण्ड अधिकारी तालेडा द्वारा जारी सनद के आधार पर गैर खातेदारान को खातेदार में दर्ज रेकार्ड किया गया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 26/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/49 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 1 व 7 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जाकर अपील देरी से पेश किये जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 571 रकबा 2.8409 हैक्टेयर वाकेग्राम गामछ में स्थित है। उक्त भूमि अपीलांट के वर्षो से कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि को कभी भी नारायण वल्द जीवन जाति बलाई निवासी गामछ को आवंटित नहीं किया गया है और न ही उक्त भूमि पर कभी नारायण का कब्जा रहा है। अपीलांट के कब्जे काश्त की उक्त भूमि के समीप ही अपीलांट की अन्य खातेदारी की भूमि स्थित है। रेस्पो.सं.1, 2 एवं रेस्पो.सं.3 लगायत 7 की माता ग्यारसीबाई द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उक्त भूमि को बिना किसी जांच एवं बिना आवंटन पत्रावली के रेस्पो. 1 व 2 तथा रेस्पो.सं.3 लगायत 7 की माता ग्यारसीबाई पुत्री नारायण के नाम नामान्तरकरण संख्या 1890 दिनांक 21.09.2020 को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया, जो निरस्तनीय है। उक्त अवैध एवं शून्य आदेश के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जिसको निरस्त कराने की कोई मियाद नहीं होती है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को नहीं थी। जानकारी मिलने पर पटवारी जी से नकल हेतु आवेदन किया गया जिस पर अपीलांट को दिनांक 13.04.2022 को नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर अवधि पेश की गई है। यदि फिर भी किसी कारणवश अपील प्रस्तुत करने में देरी मानी जावे तो देरी को क्षमा फरमाने के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 व 7 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 21.09.2020 की जानकारी मिलने पर पटवारी जी से नकल आवेदन किया गया, जिस पर नकल दिनांक 13.04.2022 को प्राप्त होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। अपीलांट द्वारा यह अंकित नहीं किया गया कि जानकारी किस दिनांक को किस प्रकार हुई तथा नकल हेतु आवेदन किस दिनांक को पेश किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील विलम्ब से पेश की गई है। जो मियाद बाहर होने से बिना मेरिट पर सुने कानूनन मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 व 7 द्वारा आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया, ऐसे में मूल आदेश के अस्तित्व में होने से उसके आधार पर तस्दीक नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 21.09.2020 की नकल दिनांक 13.04.2020 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मेरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अपीलांटस अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि पत्रावली पर नामान्तरकरण संख्या 1890 दिनांक 21.09.2020 वाकेग्राम गामछ उपलब्ध है। जिसके अनुसार ग्राम गामछ तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 571 रकबा 2.8409 हैक्टेयर भूमि के गैर खातेदार रामशंकर पुत्र लटूर, शांति पुत्री नारायण एवं ग्यारसी पुत्री नारायण जाति बलाई थे। अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार तालेडा के प्रस्ताव दिनांक 14.09.2020 एवं उपखण्ड अधिकारी तालेडा के आदेश दिनांक 18.09.2020 की पालना में तस्दीक किया जाकर उक्त गैर खातेदारान को खातेदारी में दर्ज रेकार्ड किया गया है। जिस पर अपीलांट को आपत्ति है कि उक्त भूमि पर उसका कब्जा काश्त है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार तालेडा के पत्र कमांक 245 दिनांक 14.09.2020 में अंकित है कि आवंटी नारायण आ. जीवन जाति बलाई निवासी गामछ को जर्ये आवंटन मि.नं. 142/63 दिनांक 11.04.1963 से वाके माल गामछ के आराजी खसरा नं. 193 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 खसरा नं.571 रकबा 2.8409 हैक्टेयर कृषि भूमि आवंटित हुई थी। जिसके संबंध में रिपोर्ट पटवारी हल्का गामछ अनुसार मौके पर आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त है एवं भूमि कृषि कार्य में काम ली जा रही है। आवंटन का सम्पूर्ण आ0 मूल्य मय ब्याज व पट्टा फीस के राशि वारिसान द्वारा राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है। उक्त रिपोर्ट एवं प्रस्ताव के आधार पर उपखण्ड अधिकारी तालेडा द्वारा दिनांक 18.9.2020 को सनद जारी कर गैर खातेदारान को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है।

यहां उल्लेखनीय है कि यदि वादग्रस्त आराजी के नारायण आ. जीवन के हक में दिनांक 11.04.1963 को किये गये आवंटन को अपीलांट गलत मानता है तो अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्ध आंवटन नियमों में निहित प्रावधान अनुसार सक्षम न्यायालय में आवंटन निरस्ती की कार्यवाही करनी चाहिए थी। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में भूमि आवंटन के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता ह।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि को बिना किसी जांच एवं बिना आवंटन पत्रावली के रेस्पो. 1 व 2 तथा रेस्पो.सं.3 लगायत 7 की माता ग्यारसीबाई के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। जबकि भू प्रबंध (सेटलमेन्ट) विभाग द्वारा जर्ये फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा के माध्यम से उक्त भूमि नारायण वल्द जीवन कौम बलाई की गैर खातेदारी में दर्ज किया जाना प्रमाणित है। बाद जांच आवंटन शर्तो की पालना होना पाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी तालेडा द्वारा जारी सनद के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारान के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 27.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी